न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 02/2021

GCMS NO. : 2021/375

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. गीता पुत्री शिवराम जाति- राईका, निवासी- पाटवा तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।		1. सरपंच ग्राम पंचायत पाटवा, पंचायत समिति -जैतारण, जिला-पाली(राज.) 2. सुखी देवी बेवा घेवरिया 3. रेवतराम पुत्र शिवराम जातियान- राईका, निवासीगण- पाटवा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0। 4. उपपंजीयन अधिकारी, तहसील कार्यालय जैतारण तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आंदेश सरपंच ग्राम पंचायत पाटवा दिनांक 30.05.1975 नामान्तरकरण संख्या 509 को निरस्त(रद्द) घोषित करनें बाबत्

तारीख रजू:.26/11/2021

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

-:: निर्णयः- **दिनॉकः 28/02/2022**

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा पाटवा भू अभिलेख निरीक्षक बेडकल्ला तहसील जैतारण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन रेंवतराम की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1107 रकबा 3.8850 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त जमीन वक्त सेटलमेन्ट के पहले से अपीलांट के पिता शिवराम व परपिता पुना के नाम से आई हुई है, जिसकी जमाबन्दी की नकल साथ पेश है। उपरोक्त वंशावली अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन संगे भाई बहन है यानि शिवराम की जायज [illegible] है एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या- दो व तीन एक ही परिवार के है [illegible] लावल्द फौत होने से उनकी पत्नि सुखीदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज [illegible] मौके पर मुतनाजा जमीन पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का संयुक्त [illegible] काश्त का आया हुआ है, उक्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या- दो व तीन का 1/2 हिस्सा आया हुआ है इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

आ रहे है। अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के ससुर व रेस्पोडेन्ट संख्या- तीन के पिता शिवराम पुत्र

पुना का देहान्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने पटवारी हल्का पाटवा से मिल कर बाले वाले यह जानते हुए कि हम तीन भाई बहन है उसके उपरान्त भी दोनो भाई ने अपने नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 30-05-1975 को केवल मात्र दोनो भाईयों घेवरिया व रेवतराम के नाम भरवा दिया और तत्कालीन भू निरीक्षक जैतारण की रिपोर्ट के बिना एवं शिवराम के विधिक उतराधिकारीगण की जांच के बिना ही की विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत की कार्यवाही करवाई है जबकि मृतक शिवराम के जायन्दा तीन सन्तान होते हुए भी अपीलान्ट के हिस्से की जमीन हड़पने की नियत से अपने आप को मृतक शिवराम के उतराधिकारी बताकर विरासत का म्यूटेशन संख्या 509 दिनांक 30-5-1975 में भरवाया जो सरासर गलत, विधि विरूद्ध से होने से निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के द्वारा उक्त नामान्तरकरण बाबत सभी कार्यवाही करके अपने नाम का नामान्तरकरण संख्या- 509 दिनांक फर्जी 30/05/1975 भरवाया है जो विधि विरूद्ध है तत्कालीन पटवारी भू निरीक्षक व सरपंच का दायित्व होता है कि मृतक शिवराम के वारिसान बैनतं न्जकी सही जांच करके फिर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाये लेकिन उक्त नामानंतरण पर भू निरीक्षक की रिपोर्ट के बिना ही पटवारी, सरपंच ने मिली भगत करके अन्पीलान्ट को नुक्शान पहुंचाने की नियत से अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन दर्ज नहीं करवाया इसलिए उक्त नामानंतरकरण संख्या- 509 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल मसुखी के है। अपीलान्ट एक अनपढ़ महिला होने से आजतक राजस्व रेकर्ड बाबत कोई जानकारी नहीं की गई इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या दो व इनके पति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन का नाम आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में बतौर रोग एन्ट्री के चलता आ रहा है. अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25-5-2021 को पटवारी के पास जाकर पूछताछ की और कहा कि मेरे नाम मेरे खाते में प्रधानमंत्री योजना के तहत रूपये जमा क्यों नहीं हो रहे है तब पटवारी हल्का पाटवा ने बताया कि आपका नाम आपके पिताजी की जमीन में उनके मरने के बाद दर्ज नहीं हुआ है इसलिए आपके खाते में प्रधान मंत्री योजना द्वारा रुपये जमा नहीं करवाये गये, तब अपीलान्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड नामान्तरण संख्या 509 की नकल प्रमाणित दिनांक 17-11-2021 को प्राप्त हुई कि शिवराम पुत्र पुना फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 509 रेस्पोडेन्ट दो के प्रति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के नाम भरवा दिया जिस[illegible] प्रथम जानकारी दिनांक 17-11-2021 को अपीलान्ट को [illegible] रेकर्ड में दर्ज नहीं होने का ज्ञात हुआ इसलिए नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30/05/1975 से दिनांक 17-11-2021 तक समय को डिले कण्डोन फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत है इसलिए अब अपील अन्दर मयाद पेश की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन उक्त विवादित भूमि का वैचान बख्शीश, रहन, वसीयत आदि करने पर आमादा है जबकि उक्त विवादित भूमि में अपीलान्ट का भी मृतक शिवराम की जायन्दा सन्तान होने से हक व अधिकार हिन्दू उतराधिकारी के तहत जन्म से ही स्वतः अधिकार बनता है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन रोग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाकर किसी अजनवी व्यक्ति को बैचान, रहन वसीयत आदि कर देंगे तो अपीलान्ट अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगी नामान्तरकरण संख्या 509 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है जो खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना व तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। एक पक्षीय बहस अधिवक्ता अपीलान्ट की सुनी गई।

हमने प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम और अपील पर एक साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी और इस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1.अपीलार्थी गीता पुत्री शिवराम उम्र 60 वर्ष द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 को निरस्त घोषित करवाने बाबत् अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति घेवरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेवतराम की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम पाटवा की खसरा संख्या 1107 रकबा 3.8850 हैक्टर बारानी दोयम वक्त सेट्लमेंट पहले से अपीलांट के पिता शिवराम व परपिता पुना के नाम दर्ज रही है। शिवराम के तीन संतान क्रमशः घेवरिया पुत्र फौत, रेवतराम पुत्र व गीता पुत्री है। घेवरिया लावल्द फौत होने से उसकी पत्नी सुखी देवी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। उक्त आराजी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा आता है। अपीलांट के पिता खातेदार शिवराम पुत्र पुना का देहान्त होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 केवल दोनो भाईयो घेवरिया व रेवतराम के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जो कि विधि विरूद्ध है। उत्तराधिकार विधि से अपीलांट पुत्री का भी मृतक पिता की वादग्रस्त आराजी में हिस्सा निहित होता है। जिसकी जांच नही की गई। अतः नामान्तरण संख्या 509 अपीलांट के विरूद्ध प्रभावशुन्य व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरीत होने से मनसूखी है। अतः नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 को निरस्त किया जाकर मृतक शिवराम के तीनो उत्तराधिकारी क्रमशः अपीलांट पुत्री गीता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति घेवरिया (मृत पुत्र) व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेवतराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। अपीलांट अनपढ महिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

होने से तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने से रॉग एन्ट्री का अपीलांट को ज्ञान नही हुआ। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 25.05.2021 को खातेदारी जमीन की नकल मांगे जाने पर पटवारी हल्के द्वारा खाते में नाम नही होने का कहने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 17.11.2021 को नामान्तरण की नकले प्राप्त करने पर अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण दिनांक 30.05.1975 से दिनांक 17.11.2021 तक के समय को माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

2. रेस्पाडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। चूंकि प्रार्थीया द्वारा अपील में प्रकट कथन एवं वादग्रस्त आराजी के उपलब्ध दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि यह आराजी शिवराम पुत्र पुना कौम राईका के खातेदारी दर्ज रही है। तथा खातेदार शिवराम के फौत होने पर ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 द्वारा मृतक शिवराम के स्थान पर फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करते हुए शिवराम के पुत्र घेवरिया व रेवतिया का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा प्रथम दृष्टया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 एवं अनुसूची के वर्ग 1 में वर्णित पात्र वारिसान् की न केवल जांच नही की गई बल्कि वर्ग प्रथम में शामिल विधिक उत्तराधिकारी अपीलांट पुत्री गीता को विधिक अधिकारो से वंचित किया गया। यह विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के साथ साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का भी उल्लंघन है, साथ ही चूंकि अपीलांट ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है जिसे भू अभिलेख में उसका नाम नही होने का ज्ञान नही होना संशय का विषय नही हो सकता। अतः हस्तगत प्रकरण में विलम्ब काल को माफ किया जाना विधिसंगत, उचित एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के अनुरूप होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 स्वीकार करते हुए दिनांक 30.05.1975 से दिनांक 17.11.2021 तक की विलम्ब कालावधि को माफ किया जाता है।

3. बिन्दू संख्या 2 के विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032, संवत् 2074 से 2077 तथा ग्राम पाटवा की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट गीता के पिता के फौत होने पर उनकी खातेदारी आराजी ग्राम पाटवा की खसरा संख्या 1107 रकबा 3.8850 हैक्टर के संबंध में ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा फौतेदगी नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 स्वीकृत कर बतौर वारिसान पुत्र घेवरिया व रेवतिया का नाम भू अभिलेख में दर्ज किया गया। तथा पुत्री गीता का नाम दर्ज नही किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 एवं अनुसूची के वर्ग 1 के विधिक प्रावधान अनुसार निर्वसीयत मृत हिन्दू पुरूष के उत्तराधिकार के मामले में पुत्रियो को भी पुत्रो के समान ही प्रथम श्रेणी के वारिसान माना गया है। अतः ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत नामान्तरण अपीलांट गीता के हक एवं अधिकार की सीमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

तक आरम्भतः प्रभाव शून्य एवं विधिविरूद्ध है। अतः हस्तगत अपील विधिसंगत एवं सारवान होने से इसे स्वीकार करते हुए, ग्राम पाटवा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1107 रकबा 3.8850 हैक्टर के संबंध में अपीलांट गीता पुत्री शिवराम के पिता खातेदार शिवराम पुत्र पुना के फौत होने पर ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 509 दिनांक 30.05.1975 को निरस्त किया जाना एवं उक्त नामान्तरण के अनुक्रम में की गई पश्चातवर्ती कार्यवाही आरम्भतः शून्य होने से इन्हें भू अभिलेख से विलोपित करना तथा तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना कि मृतक खातेदार शिवराम पुत्र पुना जाति राईका के उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलांट पुत्री गीता हिस्सा 1/3, पुत्र रेवतराम हिस्सा 1/3 एवं मृत पुत्र घेवरिया के स्थान पर मृतक की विधवा सुखी देवी पत्नी घेवरिया हिस्सा 1/3 के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे, पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत नामांतकरण अपील संख्या 02/2021 गीता देवी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत– पाटवा एवं अन्य अंतर्गत धारा 75, राज.–भू–राजस्व अधिनियम– 1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 509 ग्राम– पाटवा, पटवार मण्डल– पाटवा, तहसील– जैतारण, निर्णय दिनांक 30.05.1975 को अपास्त करते हुए इसके अनुसरण में भू अभिलेख में दर्ज समस्त पश्चातवर्ती प्रविष्टियो को विलोपित किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जैतारण को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में मृतक खातेदार शिवराम पुत्र पुना के स्थान पर इसके विधिक वारिसान् अपीलांट पुत्री गीता हिस्सा 1/3, पुत्र रेवतराम हिस्सा 1/3 एवं मृत पुत्र घेवरिया के स्थान पर मृतक की विधवा सुखी देवी पत्नी घेवरिया हिस्सा 1/3 के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे, निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जावें। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)